

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

-Phone & Fax 07292&222250 Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2020/1013

धार, दिनांक 2/02/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
(क्षे0) इन्दौर वृत्त इन्दौर

- विषय :- जिला धार के अंतर्गत कुण्डियानाला लघु तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 17.178 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद्।
- संदर्भ :- 01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/89/2018/10-11/8/321 दिनांक 31.01.2019
- 02 आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5231 दिनांक 01.07.2019
- 03 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार का पत्र क्रमांक/439/कार्य/2020 मनावर, दिनांक 10.02.2020

-000-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि जिला धार के अंतर्गत कुण्डियानाला लघु तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 17.178 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग से 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी। आवेदक विभाग द्वारा 02 बिन्दुओं की जानकारी forestclearance.nic.in पर ऑन-लाईन जमा कर दी गई है। प्रकरण से 02 बिन्दुओं की जानकारी हार्ड कापी एवं ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- 02 बिन्दुओं की जानकारी

वनमण्डलाधिकारी,
(क्षे.) वृन मण्डल धार

पृ0/क्रमांक/मा.चि./2020/

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

धार, दिनांक /02/2020

संलग्न:- 02 बिन्दुओं की जानकारी

-sd-

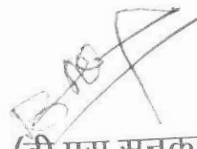
वनमण्डलाधिकारी,
(क्षे.) वन मण्डल धार

कुण्डिया नाला लघु सिंचाई परियोजना, जिला धार, म.प्र.

न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से तीन एलाईनमेंट हेतु तुलनात्मक टीप :-

सं. क्र.	एलाईनमेंट क्रमांक	प्रभावित वनक्षेत्र हे० में	परियोजना की लागत लाख रू० में	जलग्रहण क्षमता मि. घन मी.	सिंचित क्षेत्र हे० में	प्रति हेक्टेयर लागत लाख रू० में	विवरण
1	A	17.178	672.06	1.18	226	2.97	न्यूनतम वन क्षेत्र एवं लागत प्रति हेक्टेयर 3.50 लाख से कम होने से उपयुक्त एलाईनमेंट है।
2	B	24.37	880.19	1.31	248	3.55	वन क्षेत्र न्यूनतम नहीं होने एवं लागत प्रति हेक्टेयर 3.50 लाख से अधिक होने के कारण इसे उपयुक्त नहीं माना गया है।
3	C	27.84	978.69	1.48	272	3.60	वन क्षेत्र न्यूनतम नहीं होने एवं लागत प्रति हेक्टेयर 3.50 लाख से अधिक होने के कारण इसे उपयुक्त नहीं माना गया है।

टीप — उपरोक्त तीनों एलाईमेंट क्रमशः A, B, C, में A एलाईमेंट में न्यूनतम वनक्षेत्र 35.30 हेक्टेयर होने से एवं योजना की लागत के अनुपात में लाभ उपयुक्त होने से इसे उपयुक्त माना गया है एवं वन प्रकरण तैयार किया गया है।


(बी.एस.सनकत)
 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संभाग मनावर ,
 जिला धार (म.प्र.)

